

मुख्य समाचार

1. संसद ने विकसित भारत जी-राम-जी विधेयक 2025 को किया पारित, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा- गांवों के उत्थान और वंचित वर्गों को सशक्त बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम।
2. झारखंड प्लेटफॉर्म आधारित गिग श्रमिक निबंधन और कल्याण विधेयक-2025 को राज्यपाल ने दी मंजूरी, डोर टू डोर डिलिवरी करने वाले श्रमिकों को मिलेगी न्यूनतम मजदूरी और बीमा का लाभ।
3. राज्य सरकार ने की रांची के ब्राम्बे में मेडिकल यूनिवर्सिटी खोलने की घोषणा, स्वास्थ्य मंत्री और विभाग के अपर मुख्य सचिव ने किया स्थल निरीक्षण।
4. झारखंड हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश होंगे एमएस सोनक, आठ जनवरी को सेवानिवृत्त हो रहे तरलोक सिंह चौहान की लेंगे जगह।
5. सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी पर झारखंड ने पहली बार जमाया कब्जा, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने टीम को दी बधाई।

संसद ने विकसित भारत-जी राम जी विधेयक 2025 पारित कर दिया है, जिसे लोकसभा के बाद कल राज्यसभा की भी मंजूरी मिल गई। इस कानून का लक्ष्य 2047 तक विकसित भारत के विज़न को साकार करना है। केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्यसभा में चर्चा का जवाब देते हुए इसे गांवों के उत्थान और वंचित वर्गों को सशक्त बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बताया।

इधर, झारखंड में इस विधेयक को व्यापक समर्थन मिल रहा है। जामताड़ा के पंचायत प्रतिनिधियों ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के इस कदम से ग्रामीण विकास का सशक्त ढांचा तैयार हो सकेगा। उन्होंने इसे मजदूरों के हित में बताया है।

हालांकि प्रदेश कांग्रेस ने इस बिल पर कड़ी आपत्ति जतायी है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डा. इरफान अंसारी ने रांची में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि केन्द्र सरकार मनरेगा को बंद करने की साजिश कर रही है।

झारखंड प्लेटफॉर्म आधारित गिग श्रमिक निबंधन और कल्याण विधेयक-2025 को राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने मंजूरी दे दी है। विधानसभा के मानसून सत्र में पारित कराकर इस विधेयक को मंजूरी के लिए राज्यपाल को भेजा गया था। राज्यपाल की मंजूरी मिलते ही अब यह अधिनियम बन गया है। इससे राज्य में गिग श्रमिकों को काम का सुरक्षित वातावरण मिलेगा। हमारी संवाददाता ने बताया कि अब गिग श्रमिकों को हर कार्य के लिए तय की गयी दूरी व खर्च किये गये समय के आधार पर न्यूनतम मजदूरी मिलेगी। श्रमिकों को दुर्घटना और स्वास्थ्य बीमा के साथ ही सामाजिक सुरक्षा से जुड़े अन्य लाभ भी मिलेंगे।

झारखंड में चिकित्सा शिक्षा को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए प्रस्तावित मेडिकल यूनिवर्सिटी की शुरुआत अस्थायी रूप से रांची के ब्राम्बे स्थित पंचायती राज संस्थान परिसर से की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी और विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने स्थल निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान मंत्री ने कहा कि मेडिकल यूनिवर्सिटी की शुरुआत इसी परिसर से होगी, जहां पर्याप्त जगह उपलब्ध है। ब्राम्बे स्थित पंचायती राज संस्थान में कुल 67 एकड़ भूमि है, जिसमें से 48 एकड़ पर एकेडमिक भवन, छात्रावास, सभाकक्ष सहित 45 छोटे-बड़े भवन पहले से बने हुए हैं। इनका उपयोग अस्थायी व्यवस्था तक विश्वविद्यालय संचालन के लिए किया जाएगा। मंत्री ने बताया कि स्थायी कैम्पस के लिए अलग से भूमि चिह्नित करने की प्रक्रिया चल रही है।

कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी के. राजू ने आज रांची में पार्टी के जिला अध्यक्षां और पर्यवेक्षकों की बैठक बुलायी है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में कांग्रेस कोटे के चारों मंत्री

और विधायक भी शामिल होंगे। पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने बताया कि यह बैठक पार्टी के संगठन सृजन अभियान का हिस्सा है।

मुंबई हाईकोर्ट के न्यायाधीश महेश शरदचंद्र सोनक झारखंड हाईकोर्ट के नये मुख्य न्यायाधीश होंगे। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस सोनक के नाम की अनुशंसा केंद्र सरकार से कर दी है। गौरतलब है कि वर्तमान मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान आठ जनवरी को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। जस्टिस सोनक उनकी जगह लेंगे। वरीयता में जस्टिस सोनक मुंबई हाईकोर्ट में दूसरे स्थान पर हैं।

खेती-किसानी के क्षेत्र में हजारीबाग जिला अभिनव प्रयोग कर रहा है।

पश्चिमी विक्षोभ के कारण रांची समेत राज्य के अधिकांश हिस्से शीतलहर और कोहरे की चपेट में हैं। कुछ जिलों में न्यूनतम तापमान सामान्य से तीन डिग्री सेल्सियस तक नीचे चला गया है। मौसम विभाग रांची ने अगले दो दिन चतरा, पलामू, गढ़वा और लातेहार समेत राज्य के कई जिलों में घने कुहासे का येलो अलर्ट जारी किया है। जामताड़ा जिला एवं आसपास के क्षेत्र आज सुबह से ही घने कोहरे और कड़ाके की ठंड की चपेट में हैं। घने कोहरे के कारण सड़कों पर छोटे-बड़े वाहनों की रफ्तार थम सी गई है।

झारखंड ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 जीत ली है। पुणे में खेले गये फाइनल मुकाबले में झारखंड ने हरियाणा 69 रन से पराजित कर पहली बार इस ट्रॉफी पर कब्जा जमाकर इतिहास रच दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए झारखंड की टीम ने 3 विकेट खोकर 262 रन बनाए। 263 रन के विशालकाय लक्ष्य के सामने हरियाणा के बल्लेबाजों ने संघर्ष तो किया, लेकिन पूरी टीम 193 रन बनाकर आउट हो गई। कप्तान ईशान किशन ने फाइनल में शानदार शतकीय पारी खेली। ईशान किशन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया, जबकि अनुकूल रॉय को प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब दिया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीतने पर झारखंड की टीम को बधाई दी है। उन्होंने ऐतिहासिक जीत की शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि यह पूरे राज्य के लिए गौरव का क्षण है।

और अब अखबारों की सुर्खियां

रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने झारखंड प्लेटफार्म आधारित गिग श्रमिक निबंधन और कल्याण विधेयक-2025 को राज्यपाल द्वारा मंजूरी मिलने की खबर को प्रमुखता दी है।

दैनिक भास्कर की सुर्खी है— बिहार की तर्ज पर झारखंड में बनेगी नई औद्योगिक नीति, बढ़ेंगी सुविधाएं।

प्रभात खबर लिखता है— जिस कक्षा में नियुक्त हैं, उसके लिए ही टेट पास करना होगा।

हिन्दुस्तान के शब्द हैं— कोहरे व कनकनी से झारखंड बेहाल।

दैनिक जागरण ने झारखंड हाईकोर्ट के हवाले से लिखा है— पांच दिनों में पेसा नियमावली लागू करने का समय बताए सरकार।
